भी विपक्षी संख्या
ी संख्या 01 नहीं
के समय उपस्थित
03 को पक्षकार
कलम संख्या 02 में
ायत 03 के संयुक्त
ुश्तैनी आराजियात
प्रार्थी का वादग्रस्त
कारण वादग्रस्त
जाकर प्रार्थी को
काश्तकार घोषित
घोषणा की डिक्री
ावश्यक है। विपक्षी
हिस्से को किसी
न्य किसी से करावे
स्से का शांतिपूर्वक
स्थाई निषेधाज्ञा से
हक प्रार्थी विरूद्ध
ाचित है। यह कि
लगायत 03 के
है, जिसमे प्रार्थी
भू माफियाओ के
करने एवं प्रार्थी को
जिसका उसे कोई
म दृष्टया मामला
द के निस्तारण में
त आराजियात को
को अपुरणिय क्षति
ण मुल वाद के
स्थाई निषेधाज्ञा से
स्तारण तक विपक्षी
से यथा रहन बय
न ही वादग्रस्त
त प्रार्थी का शपथ

कि प्रार्थी द्वारा
ण को मुल वाद
पाबन्द फरमाया
कित राजस्व ग्राम
मीरगढ, तहसील
2, 1634, 2118,
61 हैक्टेयर भूमि
बक्षीस, विक्रय से

अपूरणीय क्षति होगी।

–::आदेश::–

अतः आदेश दिया जाता है ग्राम हमीरगढ, पटवार हल्का हमीरगढ़, भू.अभि.नि. क्षेत्र हमीरगढ़, तहसील हमीरगढ, जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजियात संख्या 1632, 1634, 2118, 2119 एवं 5023 / 1628, कुल किता 05, कुल रकबा 0.7461 हैक्टेयर भूमि भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि आगामी पेशी दिनांक तक मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनायी रखें। प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणो को जरिये नोटीस तलब किया जावें। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 14.11.2024 को पैश हो।

...धिकारी
हमीरगढ (राज.)

14/11/24
पत्रावली पेश हुआ अमुक
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में / अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश पूर्व स्थगन आदेश यथावत
दिनांक 31/12/24 को पेश हो।

आदेश से रीडर

31/12/24
पत्रावली पेश हुआ अमुक
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में / अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश पूर्व स्थगन आदेश यथावत
दिनांक 20/1/25 को पेश हो।

आदेश से रीडर

20/1/25 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी अनुप० वकील प्रार्थी को लिखित रूप से आवाज लगवायी गयी परन्तु कोई उप० नहीं। अतः प्रार्थी व अप्रार्थी अनु० रहने से प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली संलग्न शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ (राज.)